निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र 1932 (श0)

(सं0 पटना 629) पटना, वृहस्पतिवार, 26 अगस्त 2010

आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

17 अगस्त 2010

सं0 I प्रा0आ0-29/2010-76**(प्र0)**/आ0प्र0—अनियमित मॉनसुन के कारण राज्य में अनावृष्टि एवं खरीफ फसलों के कम आच्छादन को देखते हुए राज्य के 28 जिलों को सुखाड़ग्रस्त (प्राकृतिक आपदाग्रस्त) घोषित किया जा चुका है। मंत्री परिषद की दिनांक 03 अगस्त 2010 की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जिन जिलों को सुखाड़ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है उन जिलों की निरंतर समीक्षा की जाएगी एवं संबंधित जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं आपातकालीन प्रबंधन समूह की अनुशंसा के आलोक में आपदा राहत कोष समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। शेष 10 जिलों की स्थिति की लगातार अनुश्रवण एवं समीक्षा आपात प्रबंधन समूह की बैठक में की जाती रही है। इसी क्रम में सुखाड़ग्रस्त घोषित नहीं किए गए शेष 10 जिलों के जिला पदाधिकारियों के साथ वर्षापात, फसल आच्छादन इत्यादि की स्थिति के संबंध में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गयी एवं उनसे प्राप्त प्रतिवेदनों पर जिलावार विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरान्त आपदा प्रबंधन समूह ने शेष 10 जिलों यथा कटिहार, खगड़िया, अररिया, पूर्णियां, किशनगंज, पश्चिम चम्पारण, गोपालगंज, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा को सुखाड़ग्रस्त (प्राकृतिक आपदाग्रस्त) घोषित करने की अनुशंसा की गयी। आपदा प्रबंधन समूह द्वारा की गयी अनुशंसा अनुलग्नक 'क' पर संलग्न।

आपदा प्रबंधन समूह(CMG) की अनुशंसा पर आपदा राहत कोष समिति की बैठक दिनांक 14 अगस्त 2010 में विचार करते हुए इस विभाग के अधिसूचना संख्या प्रा0आ0 23/2010 74(प्र0) आ0प्र0 दिनांक 14 अगस्त 2010 के प्रावधानों के आलोक में शेष 10 जिलों: कटिहार, खगड़िया, अररिया, पूर्णियां, किशनगंज, पश्चिमी चम्पारण, गोपालगंज, सहरसा, सुपौल, एवं मधेपुरा जिलों को प्राकृतिक आपदाग्रस्त (सुखाड़ग्रस्त) घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः आपदा राहत कोष समिति में लिए गए

निर्णय के आलोक में कटिहार, खगड़िया, अररिया, पूर्णियां, किशनगंज, पश्चिम चम्पारण, गोपालगंज, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिलों को सुखाड़ग्रस्त (प्राकृतिक आपदाग्रस्त) घोषित किया जाता है।

2. अधिसूचित जिलों में सुखाड़ से निपटने हेतु आपदा राहत निधि (CRF) तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (NCCF) से दिये जानेवाले सहायता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

3. अधिसूचित जिलों में किसानों से सहकारिता ऋण, राजस्व लगान एवं सेस, पटवन शुल्क, विद्युत शुल्क जो सीधे कृषि से संबंधित हो, की वसूली वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए स्थगित रहेगी।

4. प्रभावित जिलों में फसल को बचाने, वैकल्पिक कृषि कार्य की व्यवस्था करने, रोजगार के साधन उपलब्ध कराने, पशु संसाधनों का सही रख-रखाव करने, इत्यादि, के लिए आवश्यकतानुसार साहाय्य कार्य चलाने, आदि, की व्यवस्था की जाएगी जिसके लिए संबंधित विभाग द्वारा निम्नप्रकार से वर्णित कार्य किये जायेंगे -

(*i*) **कृषि प्रक्षेत्र**—(क) कृषि विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार फसलों की सुरक्षा एवं बचाव के लिए कृषि इनपुट के रूप में डीजल, बीचड़ा, बीज आदि पर सब्सिडी की व्यवस्था की जाएगी।

(ख) वैकल्पिक फसल योजना तैयार कर उसके सफल क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

(ग) सतही जलस्रोतों के सूख जाने के कारण वैकल्पिक माध्यमों से सिंचाई की व्यवस्था होगी। इस हेतु जल संसाधन एवं लघु जल संसाधन विभाग आकस्मिकता योजना तैयार कर इसका कार्यान्वयन करेंगे।

(घ) खरीफ फसल के लिए डीजल अनुदान की स्वीकृति दी गई है। उपरोक्त व्यवस्था आवश्यकता होने पर रबी फसल के लिए भी की जाएगी।

(च) सहकारी तथा राष्ट्रीकृत बैंकों के माध्यम से कृषि ऋण उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

(छ) किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलवाने हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

(*ii*) **पेयजल**—जलापूर्ति की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा जिला पदाधिकारी के निर्देशन के अनुसार की जाएगी। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति हेतु पूर्व में लगाये गये चापाकलों/ नलकूपों की मरम्मति की जाएगी। आवश्यकता का आंकलन कर पुराने चापाकलों को और गहरे स्तर तक गाड़े जाने की व्यवस्था की जाएगी। जरूरत के अनुसार नये नलकूप/चापाकल भी लगाये जायेंगे। प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से भी जलापूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में भी पेयजलापूर्ति की आवश्यकतानुसार पेयजल की कमी को दूर करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। पाइप जलापूर्ति योजनाओं के लिए विद्युत आपूर्ति की सुदृढ़ व्यवस्था रहेगी।

(*iii*) **खाद्यान्न** —(क) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि जिलों में पर्याप्त खाद्यान्न का भंडारण है एवं जनवितरण प्रणाली के माध्यम से लक्षित वर्ग के उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण हो रहा है। अन्नपूर्णा एवं अंत्योदय योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण का गहन अनुश्रवण किया जाएगा। विषम स्थिति में राज्य सरकार द्वारा मुफ्त साहाय्य वितरण हेतु खाद्यान्न के पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था रखी जाएगी। इस हेतु केन्द्र सरकार से अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाएगा।

(ख) सुखाड़ग्रस्त जिलों के सभी पंचायतों में एक-एक क्वींटल खाद्यान्न रिवाल्विंग स्टॉक के रूप में चिन्हित जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों के पास सुरक्षित रखा जाएगा ताकि भूख से प्रभावित व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न तत्काल उपलब्ध कराया जा सके।

(*iv*) **मुफ्त साहाय्य**—मुफ्त साहाय्य वितरण का निर्णय यथा समय आवश्यकतानुसार संबंधित जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं आपातकालीन प्रबंधन समूह की अनुशंसा के आलोक में आपदा राहत कोष समिति द्वारा लिया जाएगा। मुफ्त साहाय्य वितरण के पात्र वे व्यक्ति/ परिवार होगें जिन्हें जीवन

यापन के लिए तुरन्त सहायता की आवश्यकता है, जिनका अन्न भंडार समाप्त हो गया हो एवं जिनके पास तुरन्त सहायता का कोई साधन न हो।

(*v*) **पशु संसाधन**—(क) सुखाड़ के कारण पशुचारा की तात्कालिक कमी नहीं है, परन्तु कालान्तर में कृषि फसल अवशेष की लगातार कमी के कारण इसके दीर्घकालीन प्रभाव अवश्यंभावी है। अत: पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग पशुचारा की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगा। लगातार सुखाड़ की स्थिति में जलाशय सूख रहे हैं, जिसके कारण पशुओं के लिए पेयजल की नितांत कमी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में जिला पशुपालन पदाधिकारियों द्वारा स्थिति का आकलन कर स्थल का चयन किया जाएगा तथा इन चयनित स्थलों को पशु शिविर के रूप में चिह्नित किया जा सकेगा। इन चिह्नित स्थलों पर विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा लघु सिंचाई विभाग के सहयोग से जलाशयों में जल की व्यवस्था की जाएगी।

(ख) सुखाड़ के कारण पशुओं में इफिमेरल फीवर, हीट स्ट्रोक, न्यूमोनिया, दस्त जैसी सामान्य पशु रोगों की बहुतायत होती है। इन बिमारियों से निपटने हेतु पशु चिकित्सालयों में दवा का पर्याप्त भंडारण कर लिया जाएगा, जिनमें एंटिबायोटिक्स, एनाजलेसिक, पारासिटामोल, एंटि हिस्टास्टामिनिक, एंटि डायरियल, लीवर टॉनिक, नॉरमल सलाईन, एलेक्ट्रोलाइट इन्यूजन लिक्विड, आदि, का क्रय आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

(ग) पशु स्वास्थ्य की देखभाल एवं रोगों की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर चलन्त चिकित्सा दलों की व्यवस्था रहेगी।

(*vi*) **रोजगार सृजन**—(क) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि कार्य की कमी के कारण मजदूरों के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न होगा अतएव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण में गतिशीलता लायी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन हेतु मनरेगा के अन्तर्गत परियोजनाओं के बैंक ऑफ सैंक्शंस तैयार कर क्रियान्वित किए जाएंगे जिसमें जल संरक्षण की योजनाओं यथा– तालाब, आहर एवं पाइन उड़ाही, चेक डैम, डगबेल, वृक्षारोपण इत्यादि को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) अन्य संबंधित विभाग भी सूखे से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए मनरेगा के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार रोजगारोन्मुख परियोजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे।

(ग) मनरेगा के अन्तर्गत सुखाड़ग्रस्त जिलों में रोजगारोन्मुखी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार केन्द्रांश विमुक्ति की प्रत्याशा में राज्यांश की विमुक्ति की कार्रवाई विहित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

(*vii*) **लघु जल संसाधन**—राज्य में सिंचाई हेतु सरकारी नलकूपों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था है। सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी नलकूप ऊर्जान्वित रहे ताकि इनके माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध रहे। साथ ही सतही एवं भूगर्भ जलस्रोतों जैसे – तालाब, पोखर, आहर को रिचार्ज करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। भूजल रिचार्ज की योजनाएँ भी ली जाएंगी। बिहार भू-जल सिंचाई योजना का अधिक-से-अधिक प्रचार प्रसार किया जायेगा एवं सुखाड़ से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

(*viii*) **विद्युत**—पम्प, नहर योजनाएं, राजकीय नलकूपों, सिंचाई योजनाएं एवं अधिकांश निजी नलकूप – सभी बिजली पर आधारित है। अत: ऊर्जा विभाग/बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कृषि कार्यों हेतु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाएगा। सुखाड़ प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम निर्धारित 5-6 घंटों के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा इसका प्रचार प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाएगा।

(*ix*) **स्वास्थ्य**—सूखाड़ग्रस्त क्षेत्रों में डायरिया एवं भीषण गर्मी के प्रकोप से उत्पन्न होनेवाली बीमारियां यथा– दस्त, कॉलरा, अतिसार, मियादीबुखार, मिजिल्स, डिहाइड्रेशन, डर्मेटाईटिस, हीट स्ट्रोक आदि की रोकथाम हेतु सभी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों, उप-केन्द्रों एवं अन्य चिकित्सालयों में वांछित दवाओं एवं जीवन रक्षक घोल (ओ0आर0एस0) का पर्याप्त भंडारण कराया जाएगा। प्रभावित जिलें में मोबाइल मेडिकल केयर यूनिट की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों में ओ0आर0एस0 एवं पारासिटामोल आदि दवाओं का भंडारण किया जाएगा तथा इसे आशा कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से वितरित कराया जाएगा। प्रत्येक जिला में सुखाड़ की अवधि तक सिविल सर्जन के अधीन एक मॉनेटरिंग सेल का गठन होगा जिसमें पदाधिकारी एवं कर्मचारी 24 घंटे कार्यरत रहेंगे।

(*x*) **महिलाओं एवं बच्चों की देखभाल**—सुखाड़ क्षेत्र में बच्चों एवं गर्भवती तथा धातृ महिलाओं को कुपोषण से बचाने हेतु पूर्व में चलाये जा रहे कार्यक्रमों के अतिरिक्त पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक केन्द्र पर उपलब्ध मेडिकल किट में ओ0आर0एस0 एवं पारासिटामोल दवा भी रखी जाएगी। इस व्यवस्था का नियमित एवं सघन अनुश्रवण किया जाएगा ताकि सुखाड़ की स्थिति में इसका प्रभावकारी एवं सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सके।

5. अनुश्रवण: सुखाड़ आपदा प्रबंधन हेतु अनुश्रवण की व्यवस्था निम्नानुसार की जाएगी:

(क) जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में सुखाड़ साहाय्य कार्य चलाए जायेंगे। सुखाड़ आपदा प्रबंधन के अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर 24 घंटे क्रियाशील नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। इसके दूरभाष संख्या को आम आवाम की जानकारी हेतु समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराया जाएगा। नियंत्रण कक्ष में रोस्टर में सिविल पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य तकनीकी सेवाओं के पदाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किये जाएंगे। जिला पदाधिकारी के अधीन गठित टॉस्कफोर्स सुखाड़ से उत्पन्न स्थिति एवं इसके निवारण हेतु किये जा रहे प्रयासों का साप्ताहिक अनुश्रवण करेगी।

(ख) मुख्यालय स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग में राहत कार्य के अनुश्रवण हेतु गठित नियंत्रण कक्ष निरंतर क्रियाशील रहेगा।

(ग) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, कृषि विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में हेल्प लाइन स्थापित किये जाएंगे जो निरंतर क्रियाशील रहेंगे।

(घ) राज्य स्तर पर गठित आपातकालीन प्रबंधन समूह (Crisis Management Group) निरंतर क्रियाशील रहेगा तथा सुखाड़ग्रस्त जिलों में राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का सतत् अनुश्रवण करेगा।

(च) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलों के प्रभारी सचिव अपने प्रभार के जिलों में चलाये जा रहे राहत कार्यों की सघन समीक्षा एवं अनुश्रवण करेंगे। इसके लिए वे आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय भ्रमण तथा जिला स्तर पर समीक्षा बैठक करेंगे।

6. उपर्युक्त के आलोक में संबंधित विभाग विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर अपने स्तर से आदेश निर्गत करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
व्यास जी
प्रधान सचिव।

अनुलग्नक 'क'

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 14 अगस्त 2010 को सुखाड़ग्रस्त घोषित नहीं किये गये 10 जिलों के जिला पदाधिकारियों के साथ वर्षापात, फसल आच्छादन इत्यादि की विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा एवं जिला पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार हेतु आपातकालीन प्रबंधन समूह (CMG) की आहुत बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:-

(1) मुख्य सचिव

(2) विकास आयुक्त

(3) कृषि उत्पादन आयुक्त

(4) प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग

(5) प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग

(6) सचिव, लघु जल संसाधन

अनियमित मॉनसुन के कारण राज्य में अनावृष्टि एवं खरीफ फसलों के कम आच्छादन को देखते हुए राज्य के 28 जिलों को सुखाड़ग्रस्त घोषित किया जा चुका है। मंत्री परिषद की दिनांक 03 अगस्त 2010 की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जिन जिलों को सुखाड़ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है उन जिलों की निरंतर समीक्षा की जाएगी एवं संबंधित जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं आपातकालीन प्रबंधन समूह की अनुशंसा के आलोक में आपदा राहत कोष समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। शेष 10 जिलों की स्थिति की लगातार अनुश्रवण एवं समीक्षा आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक में की जा रही है। इसी क्रम में सुखाड़ग्रस्त घोषित नहीं किए गए शेष 10 जिलों से वर्षापात, फसल आच्छादन इत्यादि से संबंधित प्रतिवेदनों के आलोक में अद्यतन स्थिति के संबंध में इन जिलों के जिला पदाधिकारियों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलावार विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई। विडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में इन जिलों में निम्नानुसार स्थिति उभरी है :-

(1) कटिहार—जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जिला में माह जून, जुलाई एवं अगस्त का औसत वर्षापात क्रमशः 220, 307.2 एवं 281.5 mm है जिसके विरूद्ध 149.20, 214.2 एवं 18.71 mm वर्षापात हुई है। जो सामान्य से बेहद कम है। धान का आच्छादन 80000 हेक्टेयर के विरूद्ध 55280 हेक्टेयर ही हुआ है जो लक्ष्य का 69.10% है। अगस्त माह में कम वर्षा होने के फलस्वरूप फसल की स्थिति पर बुरा असर पड़ा है।

(2) खगड़िया—जिले से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सामान्य वर्षापात 765.20 mm के विरूद्ध 297.00 mm वर्षापात अभी तक हुआ है जो सामान्य वर्षापात से 61.19% कम है। वर्त्तमान माह में 14 अगस्त तक मात्र 26 मि0मि0 वर्षा हुई है। धान का आच्छादन 21000 हेक्टेयर के विरूद्ध 14600 हेक्टेयर ही हुआ है जो लक्ष्य का 69.52% है। इसी प्रकार मक्का में 22000 हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध आच्छादन 23465 हेक्टेयर हुआ है जो लक्ष्य का 106.66% है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिले में भू-जल स्तर नीचे नहीं गया है, परन्तु फसल की स्थिति धीरे-धीरे खराब हो रही है। वर्षापात नहीं होने के कारण नलकूप के माध्यम से रोपनी एवं पटवन की जा रही है। जिला पदाधिकारी के अनुसार सामान्यतः सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

(3) अररिया—जिले से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सामान्य वर्षापात 1078.20 mm (पुरे अगस्त माह सहित) के विरूद्ध 792.3 mm वर्षापात अभी तक हुआ है। धान का आच्छादन 100000 हेक्टेयर के विरूद्ध 88595 हेक्टेयर हुआ है जो लक्ष्य का 88.6% है। इसी प्रकार मक्का में 100000 हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध आच्छादन 70075 हेक्टेयर हुआ है जो लक्ष्य का 70.08% है। अगस्त माह के प्रथम 12 दिनों में

वर्षापात नगण्य रहने के कारण भरगाँवां प्रखंड के कुछ पंचायत में फसल पर प्रभाव पड़ रहा है जिससे वहां 20 से 25% तक उत्पादकता पर प्रभाव पड़ सकता है।

(4) पूर्णियां—जिले से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सामान्य वर्षापात 1038.20 mm के विरूद्ध 543.00 mm वर्षापात अभी तक हुआ है जो सामान्य वर्षापात से 47.70% कम है। धान का आच्छादन 101000 हेक्टेयर के विरूद्ध 67815 हेक्टेयर ही हुआ है जो लक्ष्य का 67.14% है। इसी प्रकार मक्का में 15000 हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध आच्छादन 12750 हेक्टेयर हुआ है जो लक्ष्य का 85.00% है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि पिछले 15 दिनों में केवल एक ही दिन वर्षा हुई है जिसके कारण फसलों की स्थिति काफी खराब हो गई है और धान के दाने कमजोर हो रहे हैं। फसल में अभी से ही 50% की कमी आ गई है। अल्प वृष्टि के कारण स्थिति अधिक खराब है तथा सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिला पदाधिकारी द्वारा सुखाड़ग्रस्त घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

(5) किशनगंज—जिलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अगस्त, 2010 में अद्यतन औसत वर्षापात 273mm के विरूद्ध 104.9mm वर्षा हुई। इस तरह अगस्त, 2010 में सामान्य वर्षापात में 62.00% की कमी हुई है। इस माह वर्षा नहीं होने के कारण जमीन पर हुई धान की रोपनी वर्षा के अभाव में सुख रहा है। जिलाधिकारी के अनुसार किशनगंज जिला के मिट्टी Sandy loam soil होने के कारण प्रति दिन वर्षा का होना आवश्यक है, ताकि आच्छादित धान की रोपनी के फलस्वरूप धान की फसल अच्छी हो। यह स्थिति सभी प्रखण्डों में बनी हुई है। जिलाधिकारी के अनुसार जिला में सूखा की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बन सकती है।

(6) पश्चिम चम्पारण—जिले से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार धान का आच्छादन 180000 हेक्टेयर के विरूद्ध 171000 हेक्टेयर ही हुआ है जो लक्ष्य का 95.00% है। इसी प्रकार मक्का में 4500 हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध आच्छादन 3000 हेक्टेयर हुआ है जो लक्ष्य का 66.67% है। जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदनानुसार दिनांक 26.07.10 से दि0 11.08.10 तक करीब-करीब नगण्य वर्षापात हुई है। यह सामान्य से 63% कम है। वर्षापात में कमी के कारण खेतों में लगे फसल क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। कहीं-कहीं खेतों में दरारे भी आ गई है। उन्होंने इस जिला को सुखाग्रस्त घोषित करने की अनुशंसा की है।

(7) गोपालगंज—जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार माह जुलाई में सामान्य वर्षापात 314.8 के विरूद्ध 282.3 एवं माह अगस्त में सामान्य वर्षापात 310.3 के विरूद्ध मात्र 68.00 हुई है। इस प्रकार अगस्त माह में मात्र 21.9 % वर्षापात हुआ है जो बहुत ही कम है। धान का आच्छादन 98,926 हेक्टयर लक्ष्य के विरूद्ध 89,560 हेक्टेयर में ही हुआ है। भूजल स्तर के कमी के कारण सभी खेतों में दरार पड़ गए हैं। आर्द्रता नहीं होने के कारण पौधे पीले पड़ गए हैं एवं मुरझा रहे हैं। जिले को सुखाड़ग्रस्त घोषित करने की अनुशंसा की जाती है।

(8) सहरसा—जिले से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जिले में सामान्य वर्षापात से 69% वर्षापात कम हुआ है। जिले में धान की रोपनी 75% हो चुकी है, परन्तु अल्पवृष्टि एवं अनियमित वर्षा के कारण धान की फसल को क्षति पहुँच रही है। वर्षा के अभाव में धान की फसल पीली हो रही है। नर्सरी/खेतों में जो अवशेष बिचड़े हैं वह भी सूख गये हैं। अतः उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में जिले में सूखाड़ की स्थिति बन रही है।

(9) सुपौल—जिले से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सामान्य वर्षापात 703.3 mm के विरूद्ध 474.75 mm वर्षापात अभी तक हुआ है जो सामान्य वर्षापात से 32.50% कम है। धान का आच्छादन 270000 हेक्टेयर के विरूद्ध 132747.81 हेक्टेयर ही हुआ है जो लक्ष्य का 49.17% है। विगत एक पक्ष में वर्षा कम होने तथा सिंचाई कुछ ही प्रखण्डों में सीमित होने, वर्षापात में अगस्त माह में 70% की कमी होने के कारण धान के खेतों में पानी की कमी हो गई है तथा बिचड़े का विकास समुचित नहीं होने से फसल

उत्पादनों पर गम्भीर असर पड़ने की संभावना है। जिले के कई हिस्से में वर्तमान में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है।

(10) मधेपुरा—जिले से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार सामान्य वर्षापात 631.32 के विरूद्ध वास्तविक वर्षापात 327.9 mm है जो सामान्य से 48% कम है। धान का आच्छादन 59.69%, एवं मक्का का आच्छादन 38.75% है। 1.08.2010 से अब तक वर्षा नहीं होने के कारण धान एवं मक्का का फसल पीला पड़ रहा है एवं जमीन में भी दरार पड़ रहा है। जिले को सुखाड़ग्रस्त घोषित करने की अनुशंसा की जाती है।

बैठक के दौरान कटिहार, अररिया, एवं किशनगंज जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के दौरान यह बात उठी की धान रोपनी के बाद जुलाई के अंतिम सप्ताह एवं अगस्त के प्रथम दो सप्ताह में वर्षा का अभाव रहा है। यह वह समय है जबकि धान में टीलरींग होती है। वर्षा के अभाव के कारण "टीलरींग" बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अगर आगे वर्षा होती भी है तो भी उत्पादन 50% प्रभावित होगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद द्वारा जूलाई 2010 के संबंधित मासिक सुखाड़ अनुश्रवण प्रतिवेदन पर भी समूह द्वारा विचार विमर्श किया गया। प्रतिवेदन में कटिहार जिले के संबंध में अकिंत किया गया है कि यह जिला Alert श्रेणी में पहुँच गया है एवं सुखाड़ की स्थिति में हैं।

इस प्रकार 10 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ हुई विडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्राप्त प्रतिवेदनों, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र के मासिक सुखाड़ अनुश्रवण प्रतिवेदन एवं वर्षापात तथा खड़ी फसलों की स्थिति पर विचार कर आपातकालीन प्रबंधन समूह उपर्युक्त सभी 10 जिलों को सुखाड़ग्रस्त (प्राकृतिक आपदाग्रस्त) घोषित करने हेतु अनुशंसा करती है।

ह0/-	ह0/-	ह0/-	ह0/-	ह0/-	ह0/-
सचिव,	प्रधान सचिव,	प्रधान सचिव,	कृषि उत्पादन आयुक्त,	विकास आयुक्त	मुख्य सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग	समाज कल्याण विभाग	आपदा प्रबंधन विभाग	बिहार	बिहार	बिहार

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 629-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in